



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

Email :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 598/15सी0

दिनांक 01/04/2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी-हरिश्चंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं० 8 बी०/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२१/एफ०सी०/२२९० दिनांक 17.02.2021।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी-हरिश्चंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Sub- divisional Level Committee meeting proceedings not found uploaded. State Govt. is requested to upload the same.	The Objection has been corrected and uploaded online.
02	Village Level Committee (VLE) meeting held after the meeting of District Level Committee (DLC) Logically, the meeting of VLE should be before the meeting of DLC. State Government may submit clarification in this regards and submit/upload correct information/documents.	The Objection has been corrected and uploaded online.
03	Sol toposheet and digital map are not countersigned by the DFO. State Govt. may submit/upload the maps duly countersigned by the concerned DFO.	The Objection has been corrected and uploaded online.
04	Details of 21 trees mentioned in the tree enumeration list uploaded in additional document in part II but details of 7 trees uploaded at para 4 in part II. State Govt. may submit clarifications in this regard.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO
05	CA site suitability certificate and work not start certificate are not countersigned by DFO. State Government. may submit the same duly countersigned by the concerned DFO.	The Objection has been corrected and uploaded online.
06	Administrative approval and CA scheme are not found uploaded State Government may submit/upload the administrative approval and CA scheme.	The Objection has been corrected and uploaded online.
07	No comments made by the DFO in his SIR regarding the violation. State Govt. may submit/upload the SIR after ensuring the comments of DFO made regarding violation.	The part-II is concerned with DFO, so the objection will be corrected by respective DFO

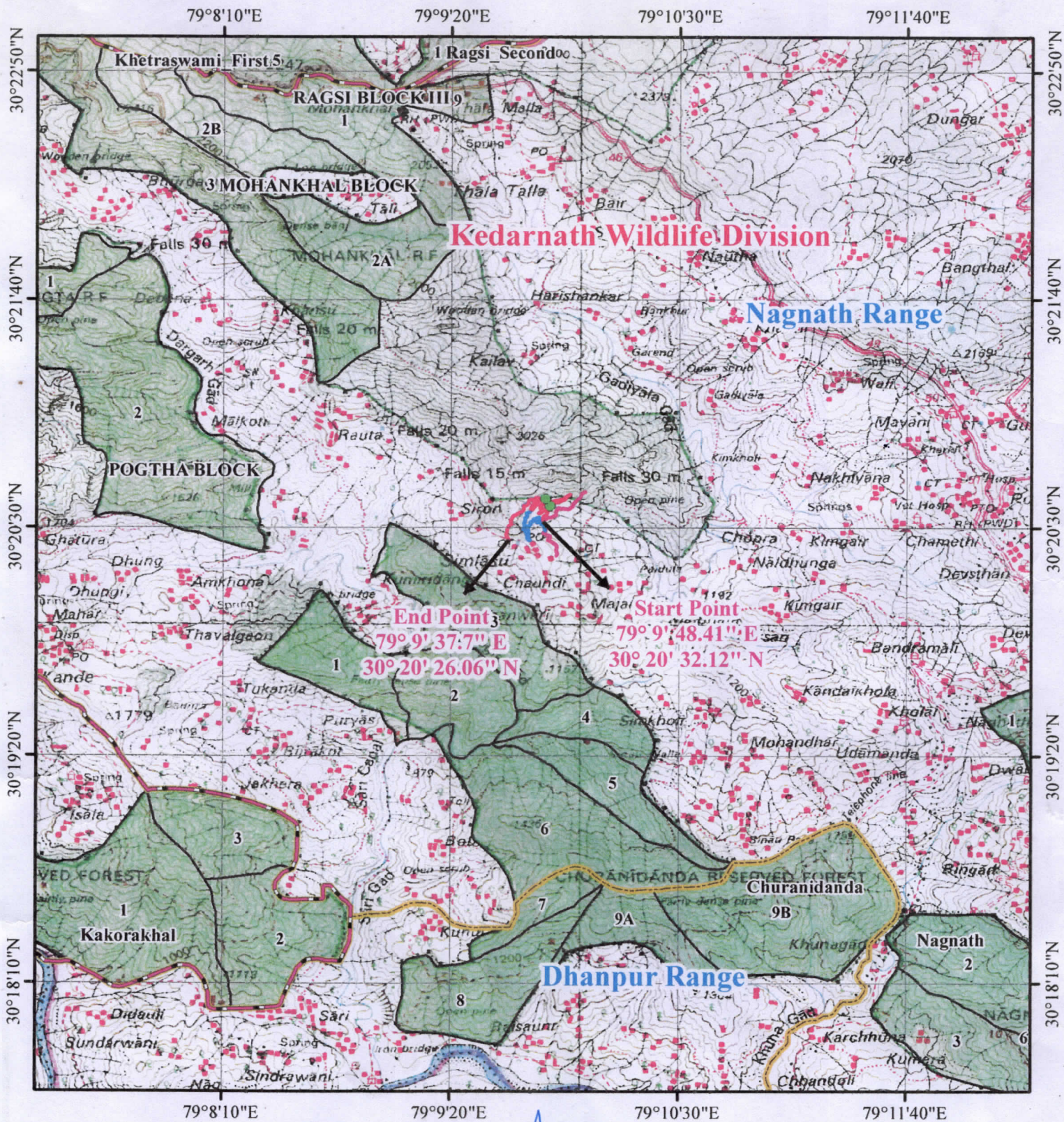
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी

डिजिटल मैप :-जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पोखरी-हरिशंकर-चौण्डी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale:1:50,000



Legend

- Alternate Road
- Existing Road
- Proposed Road
- Division Boundary

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Muck Disposal Points

प्रभागीय वनाधिकारी

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

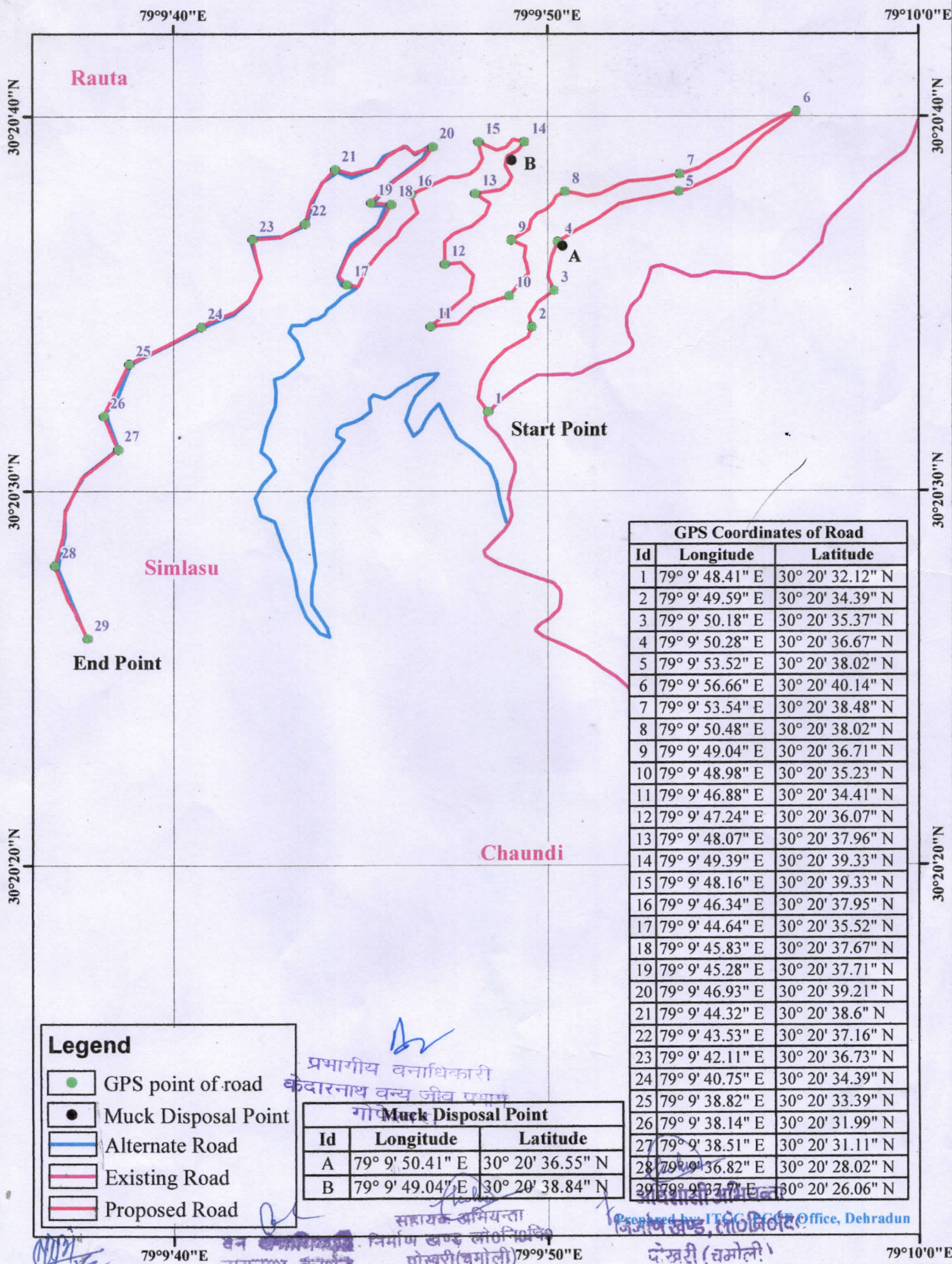
अधिकासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० बि० वि०

Prepared by: PCCF Office, Dehradun

देहरादून (चमोली)

0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 Km Scale-1:4,000

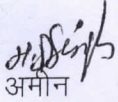


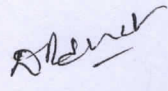
परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौडी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

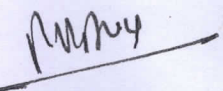
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

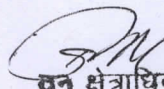
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

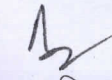

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र


प्रमाणित अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नाम :- पोरवरी - हरिश्चंकर सेला मोटर मार्ग से सिमलाखू तक मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमलाखू
तहसील पोरवरी, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

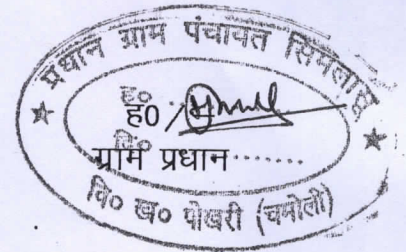
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत परियोजना
के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, 1.120 हे० सिविल सोयम भूमि एवं अन्य हेतु
वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 1.180 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. 0.060 हे० सिविल अग्नि
गोचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त करण के विषय में ग्राम पंचायत सिमलाखू द्वारा दिनांक 22.1.18 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम सिमलाखू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
कुल 1.180 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हम जिला
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अधिकारी
16.1.18
पोरवरी चमोली



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

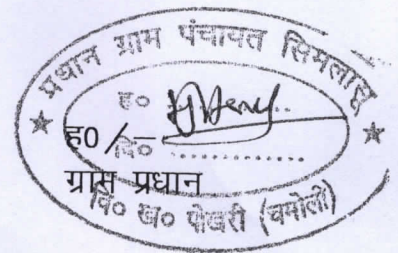
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22.11.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमलांस

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मोहन सिंह	मोहन सिंह
	दशरथ सिंह	दशरथ सिंह
	रघुवर सिंह	रघुवर सिंह
	नरेश सिंह	नरेश सिंह
	बलभद्र सिंह	बलभद्र सिंह
	प्रधान सिंह	प्रधान सिंह
	विशाल सिंह	विशाल सिंह
	उमराव सिंह	उमराव सिंह
	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
	अनिल सिंह	अनिल सिंह
	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
	प्रधान सिंह	प्रधान सिंह
	विशाल सिंह	विशाल सिंह
	रघुवर सिंह	रघुवर सिंह



परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी-हरिद्वार रौता भोरा नाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:120 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0:060 हे० कुल 1:180 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-हरिद्वार रौता भोरा नाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:120 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0:060 हे० कुल 1:180 हे० (सिविल भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील पोखरी) की दिनांक 25.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा० सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री योगेश्वर सिंह	उप जिलाधिकारी - अध्यक्ष	4/5/2015
2	श्री कुन्दन सिंह राणा	उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ	
3	श्री वी.एम.राणा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी / ए० बी० डी० ओ० - सदस्य/सचिव वन क्षेत्राधिकारी	
4	श्री प्रदीप लेखड़ा	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	
5	श्रीमती प्रभा देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	
6	श्रीमती सरोजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य- सदस्य	

सरोजनी देवी

उप खण्ड सचिव द्वारा मा० सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि पोखरी-हरिद्वार रौता भोरा नाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:180 हे० सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व समिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-हरिद्वार रौता भोरा नाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1:180 हे० सिविल भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

4/5/2015
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील पोखरी जनपद चमोली

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/5/2015
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील पोखरी जनपद चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated 15-5-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.180 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road From "Pokhari-Harisanker-Chondi-rotamotor road to Simlasu" in Chamoli district falls within jurisdiction, Simlasu village (s) in Pokhari tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.180 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Simlasu' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

EucL: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 15.5.2015 at time 4.00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.407 hect for the construction of "Pokhari-Harisanker-Chondi-Rota motor road to Simlasu motor road" and forest land 1.180 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 15.5.2015


**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

मिनाधिकारी

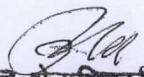
चमोली

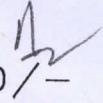
परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी व उसमें हस्ताक्षर किये जायेंगे।


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौडी रोता मोटर मार्ग 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.12 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- परियोजना का नाम- पोखरी -हरिशंकर चौडी , रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण स्थल का नाम-
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 2.24 है०
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार 4480 पौध

केंदरनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नागनाथ वन क्षेत्र

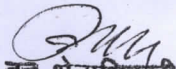
क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	
1	सर्वेक्षर व सीमांकन कार्य	2.24 है०	151.00	338.24
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना व सफाई करना	1.00 है०	5050.00	5050.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	224.00 घ०मी०	346.00	77504.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	7 सं०	15000.00	105000.00
5	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.30X0.30X0.45)	4480 सं०	9.34	41843.20
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	2.24 है०	600.00	1344.00
7	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	568.00	1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4480 सं०	9.00	40320.00
	योग प्रथम वर्ष			272535.44
	द्वितीय चरण			
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	4480 सं०	1.78	7974.40
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाड़ी कटान व सफाई करना	1.00 है०	2363.00	2363.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4480 सं०	2.13	9542.40
4	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	4480 सं०	11.00	49280.00
5	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	4480 सं०	3.46	15500.80
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	4480 सं०	1.00	4480.00
7	दो बार निराई गुड़ाई व मल्लिचंग पर व्यय	4480 सं०	4.43	19846.40
8	पौधों पर कल्चर कार्य	2000 सं०	4.13	8260.00
9	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	2.24 है०	595.00	9329.60
10	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
11	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	2.24 है०	212.00	474.88
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	10000.00	20000.00
	2- प्रोत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पोलिथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि	2.24 है०	L-S	7000.00
	योग द्वितीय चरण			170395.48
	तृतीय चरण			
1	पौध की कीमत	500	11	5500
2	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	500	13	6500
3	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	500	6	3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00	15993.60
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.24 है०	212.00	474.88
7	शीतकाल में पौधों की गुड़ाई एवं मल्लिचंग करना	4480	2.05	9184.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	15000.00	30000.00
	2- प्रोत्साहन	2 सं०	10000.00	20000.00
	योग तृतीय चरण			76996.48
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	11450.00
	योग चतुर्थ चरण			11450.00
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग पंचम चरण			15993.60
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग षष्ठम चरण			15993.60
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग सप्तम चरण			15993.60
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग अष्टम चरण			15993.60
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग नवम चरण			15993.60
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
	योग दशम चरण			15993.60
	कुल योग			627339.00
	या			627339.00

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.180 हे० के बदले दूगने क्षेत्रफल में अर्थात् 2.360 हे० भूमि ग्राम-सिमलासू में उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र


ह०/०
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।